Reader to DM

Proceed under Goonda Act

कायालय जिलाधिकारी, देहरादून
जन शिकायत निवारण दिवस

शिकयत क्रमाक- 58 दिनांक 13/10/2025
प्रेषित-
प्राप्त शिकायती पत्र/समस्या आपके विभाग/कार्यालय/पटल से सम्बन्धित है। प्रकरण मूल रूप में इस पृष्ठांकन के साथ प्रेषित है कि पत्र प्रेषण तिथि से निस्तारण अवधि 7 दिन के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित पक्ष व इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

जिला: देहरादून (उत्तराखंड)

दिनांक: 13/10/2025

13/10

विषय: पड़ोसी दिव्यकांत लखेड़ा द्वारा सार्वजनिक उपद्रव, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, घर को नशे का अड्डा बनाने, और सामुदायिक शांति भंग करने के कारण समस्त मौहल्लेवासियों की ओर से तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप हेतु अपील पत्र।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि हम **प्रार्थीगण**, लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून के निवासी हैं। हम यह सामूहिक पत्र हमारे पड़ोसी **दिव्यकांत लखेड़ा** के निरंतर बढ़ते असामाजिक और हिंसक व्यवहार के कारण उत्पन्न हुए गंभीर सामुदायिक खतरे से अवगत कराने हेतु लिख रहे हैं।

समस्या का संक्षिप्त एवं गंभीर विवरण:

➔ **आपराधिक प्रवृत्ति:** दिव्यकांत लखेड़ा एक **आदतन अपराधी** है, जो प्रायः नशे में रहता है और **पूर्व में जेल की सज़ा काट चुका** है, जिससे उसकी हिंसक प्रवृत्ति स्पष्ट है।

➔ **पारिवारिक उत्पीड़न एवं विस्थापन :** उसकी उपद्रवी और हिंसक गतिविधियों के कारण, **उसकी अपनी वृद्ध माता को भी डर के मारे घर छोड़कर जाना पड़ा है** और वे कहीं और सुरक्षित जगह रहने को विवश हैं।

➔ **नशे का अड्डा:** उसने अपने अन्य असामाजिक साथियों के साथ मिलकर अपने घर को पूरी तरह **नशे का अड्डा** बना रखा है, जिससे देर रात तक आतंक और गाली-गलौज होती है।

➔ **महिला सुरक्षा को खतरा:** वह विशेष रूप से तब **अभद्र और अश्लील टिप्पणियाँ** करता है, जब घरों में केवल **वृद्ध माताएँ, पत्नियाँ और छोटी बालिकायें** अकेली होती हैं।

➔ **जानबूझकर आतंक फैलाना:** वह **अंधेरे का लाभ उठाकर** मौहल्ले में आतंक फैलाने के उद्देश्य से **स्ट्रीट लाइटें (Street Lights) बंद करता** है और गाली-गलौज करता है।

➔ **संपत्ति और सुरक्षा भंग:** वह रात के समय **लोगों के घरों में कूदकर/चढ़कर खिड़कियों से झाँकने** और **बाहर खड़ी गाड़ियों के ऊपर खड़ा होने** जैसी खतरनाक हरकतें करता है, जो निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की आपराधिक मंशा दर्शाती है।

➔ **ठोस साक्ष्य:** हमें मजबूरन CCTV कैमरे लगवाने पड़े हैं, जिनमें **उसके दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और अभद्र टिप्पणियों के स्पष्ट फुटेज उपलब्ध हैं**, जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

पुलिस हस्तक्षेप और कानूनी प्रक्रिया की विफलता (कालक्रमानुसार साक्ष्य):

हम प्रार्थीगणों ने कई बार महिला हेल्पलाइन (Woman's Helpline) पर भी संपर्क किया है, लेकिन इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई वास्तविक या टिकाऊ कार्रवाई नहीं की गई। यह बहुआयामी विफलता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमें तत्काल प्रशासनिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

1. **28/09/2024 (प्रारंभिक कार्रवाई):** हम मौहल्लेवासियों द्वारा की गई प्रारंभिक शिकायत के आधार पर, दिव्यकांत लखेड़ा को पुलिस और उसके परिवार की सहमति से **नशामुक्ति केंद्र** भेजा गया था।
2. **03/06/2025 (सुधार में विफलता):** नशामुक्ति केंद्र से लौटने के बाद, जब इसका व्यवहार और भी अधिक अभद्र हो गया, तब प्रार्थीगणों में से एक ने **पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी एवं एस.एस.पी. कार्यालय** में शिकायत दर्ज कराई, किंतु कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
3. **28/09/2025 (लिखित आश्वासन का उल्लंघन):** समस्त मौहल्लेवासियों ने पुनः पुलिस के समक्ष सामूहिक शिकायत की। पुलिस की उपस्थिति में दिव्यकांत लखेड़ा ने **लिखित एवं वीडियो कन्फेशन** देते हुए यह स्वीकार किया कि वह भविष्य में कोई उपद्रव नहीं करेगा। **लेकिन इस लिखित आश्वासन के एक-दो दिन बाद ही उसने पुनः वही अभद्रता शुरू कर दी।** (लिखित एप्लिकेशन और वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं)।
4. **04/10/2025 (नवीनतम शिकायत):** पुनः समस्त मौहल्लेवासियों द्वारा चौकी जोगीवाला में इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन उस पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और वह अभी भी लगातार गाली-गलौज कर सामुदायिक शांति भंग कर रहा है। इसके बाद भी वह हमारे घरों के सामने खड़ा होकर लगातार **गाली-गलौज कर लोगों को उकसाने (provoke)** का प्रयास कर रहा है, जिससे सामुदायिक शांति भंग हो रही है और माहौल खराब हो रहा है।

हम सभी मौहल्लेवासियों को दिव्यकांत लखेड़ा की हिंसक प्रवृत्तियों के कारण अपने परिवार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का गंभीर खतरा महसूस हो रहा है।

अतः आपसे विनम्र अपील है कि:

कृपया हमारे इस गंभीर आवेदन पर **संज्ञान लें** और **आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यवाही** करने की कृपा करें , ताकि समस्त मौहल्लेवासी शांतिपूर्ण और **भयरहित** वातावरण में रह सकें।

हम समस्त मौहल्लेवासी आपकी त्वरित और निर्णायक प्रशासनिक कार्यवाही के लिए सदैव आभारी रहेंगे।

भवदीय,

समस्त मौहल्लेवासी, लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून

समस्त मौहल्लेवासी, लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून

हस्ताक्षर एवं नाम:

1. प्रार्थी का नाम: शैला घिल्डियाल संपर्क सूत्र: 9897233247

   हस्ताक्षर: शैला घिल्डियाल

2. प्रार्थी का नाम: जनार्दन प्रसाद संपर्क सूत्र: 9758263866

   हस्ताक्षर: [illegible]

3. प्रार्थी का नाम: पुष्पा देवी संपर्क सूत्र: 9758263866

   हस्ताक्षर: पुष्पा नौडियाल

4. प्रार्थी का नाम: दुर्गा पान्डेय संपर्क सूत्र: 8630303170

   हस्ताक्षर: दुर्गा पान्डेय

5. प्रार्थी का नाम: विमला देवी संपर्क सूत्र:

   हस्ताक्षर: विमला देवी

Widow Mother

6. प्रार्थी का नाम: Beena [illegible] संपर्क सूत्र: 9997550845

   हस्ताक्षर: बीना [illegible]

7. प्रार्थी का नाम: संपर्क सूत्र:

   हस्ताक्षर:

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

वाद संख्या–18 / 2025

थाना –नेहरू कॉलोनी
धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम

सरकार

बनाम

दिव्यकांत लखेडा

निर्णय

वाद की कार्यवाही शिकायतीकर्त्तागण श्रीमती रीता घिल्डियाल आदि निवासीगण– मौहल्लेवासी, लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। श्रीमती रीता घिल्डियाल आदि द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि पडोसी दिव्यकांत लेखडा द्वारा सार्वजनिक उपद्रव, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, घर को नशे का अड्डा बनाने और सामुदायिक शांति भंग करने तथा अपनी उपद्रवी और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है। श्रीमती रीता घिल्डियाल आदि द्वारा दिव्यकांत लखेडा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सदर देहरादून से गोपनीय जॉच करायी गयी। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर देहरादून द्वारा अपनी गोपनीय जॉच में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा ऋषि विहार, माजरी माफी, मोहकमपुर मोहल्ले का गोपनीय रूप से निरीक्षण किया गया, तथा श्री दिव्यकांत लखेड़ा के परिवारजनों पडोसियो तथा अन्य मोहल्ला निवासियों से बातचीत कर सूचना प्राप्त की गयी। दिव्यकात लखेड़ा द्वारा विगत कई वर्षों से नशा कर मोहल्लेवासियों को परेशान किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने परिवार के व्यक्ति, माता आदि के साथ भी अति अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है। अपनी माता के साथ इनके अति दुर्व्यवहार/ शोषण के कारण इनकी माता भी घर छोड़ कर कहीं अन्य स्थान पर रहने हेतु विवश हो गयी है, अन्य पड़ोसियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लखेड़ा द्वारा दिन तथा रात में मोहल्ले की महिलाओं, किशोरियों के प्रति अति अपमानजनक, अशोभनीय, अश्लील टिप्पणियां की जाती है, जिससे मोहल्लेवासियो का बाहर निकलना, स्कूल जाना आदि दुभर हो गया है। पड़ोस की महिलाओं द्वारा यह भी अवगत कराया कि लखेड़ा द्वारा रात्रि के समय उनके घरों की जालियां आदि काटकर पत्थर फेक कर यौन टिप्पणियां की जाती है, जिससे सभी जन सामान्य/बालिकाओं आदि में भय व्याप्त है। इस व्यक्ति को पूर्व में नशा मुक्ति केन्द्र में भेजने, पुलिस आदि के माध्यम से समझौता करवाने के पश्चात भी बार–बार वहीं कृत्य दोहराया जा रहा है जिससे 20–25 परिवारों को जीवन भय एवं प्रतिदिन अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा रहा है। चूंकि पूर्व में भी कई माध्यमों से इस व्यक्ति के विरुद्ध अनेक स्तरों से कार्यवाहिया की जा चुकी है तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध हाजा थाना नेहरू कालोनी में भी मु०अ०सख्या 244/2019 धारा 379/411 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज हुआ है। इसके उपरान्त भी इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन परिलाक्षित नहीं हो रहा है, जिससे आम जनमानस विशेषकर महिलाओं में भय व्याप्त है। अतः इस व्यक्ति को कथित क्षेत्र से बाहर किया जाना जनसामान्य के लिए अति आवश्यक है, जिसके आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 14.10.2024 को धारा–3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम–1970 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया तथा विपक्षी से अपेक्षा की गयी कि व न्यायालय में स्वयं अथवा द्वारा अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि विपक्षी उपर्युक्त प्रकार से उपस्थित नहीं होता है अथवा यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि विपक्षी को उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण देना/किसी भी साक्षी का परीक्षण करना नहीं चाहता है और प्रस्तावित आदेश करने की कार्यवाही की जायेगी।

विपक्षी को नोटिस की तामीली बजात खास करायी गयी। विपक्षी नियत तिथि 28.10.2025, 04.11.2025, 11.11.2025, 18.11.2025, 09.12.2025 तथा 06.01.2026 तथा 07.01.2026 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। विपक्षी को आपत्ति का पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अभियोजन पक्ष के तर्को को सुनने के उपरान्त मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध उप जिलाधिकारी(न्यायिक)सदर देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है।

मैं अभियोजन पक्ष के इस तर्क से सहमत हूँ कि विपक्षी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाना लोक शान्ति तथा जनहित में आवश्यक हैं तथा विपक्षी के आपराधिक गतिविधियों से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, जनसाधारण में अमन, चैन व शान्ति व्यवस्था

बनाये रखने के लिए विपक्षी का स्वतन्त्र विचरण करना जनहित में नहीं है। विपक्षी को गुण्डा एक्ट में दिये गये परिभाषाओं के अनुसार गुण्डा घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हर्ष नारायण बनाम जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, 1972 ए०डब्ल्यू०आर० 632/1972 ए०एल० जे० 762/1972 इलाहाबाद क्रिमनल रूल 404 के मामले में अवधारित किया है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) (ग) में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की तिथि पर आपराधिक अभियोग अवश्य ही लम्बित होने चाहिए। इतना पर्याप्त है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही या स्त्री तथा लड़की, अनैतिक व्यापार गमन अधिनियम 1956 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही प्रमाणित करने हेतु खण्ड (ग) में अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः साक्षीगण गुण्डा व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य देने का साहस नहीं करते है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित करने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही या किसी अभियोजन का लम्बित होना आवश्यक नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान गुण्डा व्यक्ति के सम्बन्धित भूत एवं वर्तमान दोनो कालों के समय घटित अनुभवों के विधिसम्मत आधार पर निर्भर हो सकता हैं इस दृष्टिकोण से कि यदि गुण्डा व्यक्ति के विरूद्ध विवादित आदेश के पारित किये जाने की तिथि पर कोई भी आपराधिक अभियोग न भी लम्बित हो तो तब भी यह तथ्य धारा 3(1) (ग) में निहित शर्तों के अस्तित्व के आधार पर विधिसम्मत समाधान को निष्फल नहीं करता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यो तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार पर विपक्षी दिव्यकांत लखेडा पुत्र स्व0 राम बिहारी लखेडा, निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करना मैं उचित समझता हूँ। अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी दिव्यकांत लखेडा पुत्र स्व0 राम बिहारी लखेडा, निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि की जाती है तथा विपक्षी को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जनहित में "गुण्डा" घोषित करते हुए आदेश के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। इस अवधि में विपक्षी इस जनपद में किसी कारण वश यदि प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना इस न्यायालय को देगा और स्वीकृति उपरान्त ही स्वीकृत अवधि के लिए इस जनपद में प्रवेश करेगा। विपक्षी को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह जनपद की सीमा से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता इस न्यायालय को एवं थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून को उपलब्ध करायेगा। यदि विपक्षी धारा-3 में पारित इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, के दण्ड और जुर्माने का भी भागी होगा। आदेश की एक प्रति विपक्षी को उपरोक्त थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून के माध्यम से प्रेषित की जाये। थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील कर, 24 घण्टे के अन्दर विपक्षी उपरोक्त को जनपद से अन्यत्र चले जाने के निर्देश दें तथा अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करें। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवें।

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

उक्त आदेश आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में उदघोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।